पत्र संख्याः–ओ0/बि0मा0आ0–45/2015–................/

फैक्स
स्पीड पोस्ट

बिहार सरकार
गृह विभाग
(विशेष शाखा)

प्रेषक,

चन्द्रशेखर सिंह
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी
सुपौल

पटना, दिनांक– , 2017

विषयः– बिहार मानवाधिकार आयोग के वाद संख्या– **BHRC/Comp.1499/2014** में पारित आदेश एवं जिला पदाधिकारी के पत्रांक–292–2 दिनांक–26.12.2016 के आलोक में पीड़ित श्री राज कुमार साह, पिता–श्री राज नारायण साह, ग्राम–करिहो, थाना+जिला–सुपौल 6 (छठी) कक्षा से 12 (बारहवीं) कक्षा तक की पढ़ाई के खर्च के लिए जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा भुगतान/समंजन का आदेश/राज्यादेश संख्या–1155 दिनांक–13.02.2017 द्वारा स्वीकृत राशि मुख्य शीर्ष–2235, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण उप मुख्य शीर्ष–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष–200–अन्य कार्यक्रम मांग संख्या–22–उप शीर्ष–0011 मानवता के दृष्टिकोण से राहत, विपत्र कोड–N223560200011 विषय शीर्ष–3102 अनुग्रह अनुदान में वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपबंधित राशि से कुल ₹3,26,405/– (तीन लाख छब्बीस हजार चार सौ पाँच रुपये) मात्र के आवंटन की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

2. पीड़ित श्री राज कुमार साह, पिता–श्री राज नारायण साह, ग्राम–करिहो, थाना+जिला–सुपौल की पढ़ाई पर होने वाले खर्च का भुगतान करने हेतु जिला पदाधिकारी, सुपौल को निम्नवत राशि आवंटित की जाती हैः–

वित्तीय वर्ष 2016–17 में जिला पदाधिकारी, सुपौल को पूर्व में आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2016–17 में जिला पदाधिकारी, सुपौल को वर्तमान में आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2016–17 में जिला पदाधिकारी, सुपौल को कुल में आवंटित राशि
₹00/– (शून्य)	₹3,26,405/– (तीन लाख छब्बीस हजार चार सौ पाँच)	₹3,26,405/– (तीन लाख छब्बीस हजार चार सौ पाँच)

3. उक्त आवंटित राशि ₹3,26,405/– (तीन लाख छब्बीस हजार चार सौ पाँच) मात्र चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में मुख्य शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–उप–मुख्य शीर्ष–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष–200–अन्य कार्यक्र मांग संख्या–22–उप शीर्ष–0011–मानवता के दृष्टिकोण से राहत विपत्र कोड N223560200011 विषय शीर्ष–3102–अनुग्रह अनुदान के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. उक्त राशि जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा यथा विषयांकित पीड़ित श्री राज कुमार साह की पढ़ाई पर होने वाले खर्च के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी जा रही है। जिला पदाधिकारी, सुपौल कृपया यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके द्वारा राशि का खर्च पीड़ित की समुचित पहचान कर की गई है।

5. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, सुपौल होंगे।

6. उक्त राशि की निकासी जिला कोषागार, सुपौल से की जायगी।

P.T.O

7. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसके अनुपालन की पूर्ण जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी, सुपौल की होगी।

8. जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा उक्त राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट/क्रॉस चेक के माध्यम से किया जाएगा।

9. जिला पदाधिकारी, सुपौल का यह दायित्व होगा कि भुगतान की गयी राशि का भुगतान प्रमाण पत्र/प्राप्ति रसीद गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को यथाशीघ्र निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।

10. इस राशि का उपयोग जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा मात्र उक्त पीड़ित श्री राज कुमार साह की पढ़ाई पर होने वाले खर्च के रूप में भुगतान हेतु किया जाएगा, किसी भी अन्य योजना के कार्य पर विचलन नहीं किया जायेगा।

11. यदि किसी कारणवश जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा उक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उस राशि का प्रत्यार्पण वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति के पूर्व गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को निश्चित रूप से कर दिया जायेगा।

12. इस आवंटनादेश को महालेखाकार, बिहार, पटना को संसूचित किया जा रहा है।

13. इस आवंटन आदेश की प्रति संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-
(चन्द्रशेखर सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-.. पटना, दिनांक- फरवरी, 2017

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के अपर सचिव

फैक्स
स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक:-.. पटना, दिनांक- फरवरी, 2017

प्रतिलिपि :- प्रमण्डलीय आयुक्त, कोसी प्रमंडल, सहरसा/जिला कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सुपौल/वित्त विभाग-सह-बजट शाखा, बिहार, पटना को (दो प्रतियों) में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-.. पटना, दिनांक- फरवरी, 2017

प्रतिलिपि :- उप सचिव, प्रशाखा "ए0", गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को लेखा संधारण हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- ....1187...../ पटना, दिनांक- 14 फरवरी, 2017

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

14/2/2017

सरकार के अपर सचिव